22/06/15

पत्रावली मूल दावा लोक अदालत जिसे
पक्षकारों ने विवाद कराये जाने पर
प्रस्तुत हुई थी मूल दावा कार्यालय
उप विभागीय अधिकारी दांतारामगढ़ को
इसलिये अधिकार क्षेत्र चलाने योग्य
नहीं है। अतः मूल दावा की
कार्यवाही दायर होने के अधिकार
सुरक्षित आदिम किस जाने के
आदेश दिये जाते हैं। नकल
फैसला शुल्क होकर नकल के
बाद है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

श्रवण कुमार

कानाराम

के नरसिंह
राम
शेषवाल
उ.प.ब.
जोरिवाल
सिंह

कुमारराम
मेहरबतराम

मांगीलाल
सीताराम